


कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, बदायूँ।

विज्ञाप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय बदायूँ में परिसर में उपलब्ध पुराने कम्प्यूटर से सम्बंधित पुराने खराब कल-पुर्ज, पुराने प्रिंटर, मॉनीटर आदि की खुली बोली के द्वारा सार्वजनिक नीलामी दिनांक 12/10/2021 को सायंकालय 3:30 बजे से 4:30 बजे जनपद न्यायालय बदायूँ के केन्द्रीय सभागार में नीलामी समिति के अध्यक्ष श्री रमा शंकर, विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट), बदायूँ की अध्यक्षता में नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी।

1. किसी भी ऐसे व्यक्ति को नीलामी में बोली लगाने का अधिकार नहीं होगा, जिस पर पिछले किसी भी ठेके का बकाया धन शेष हो।
2. प्रत्येक बोलीदाताओं को ₹1000/- (एक हजार रुपये) धरोहर राशि बैंक डाफ्ट के रूप में बोली आरम्भ होने से पूर्व नजारत कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर उसे बोली बोलने का अधिकार नहीं होगा। यह धनराशि बोली समाप्ति के एक माह के अन्दर बोलीकर्ता को लौटा दी जायेगी।
3. सर्वोच्च बोली लगाने वाले व्यक्ति को बोली समाप्ति के उपरान्त आधी धनराशि नजारत कार्यालय में जमा करनी होगी, जिसके उपरान्त बोली की स्वीकृति की संस्तुति की जायेगी। बोली स्वीकृति होने के उपरान्त अधिकतम एक माह के अन्दर शेषधनराशि जमा करनी होगी। माननीय जनपद न्यायाधीश के अन्यथा आदेश के अधीन उक्त शेष आधी धनराशि जमा न करने पर बोलीनिरस्त कर दी जायेगी, एवं पूर्व में जमा धनराशि जब्त करा ली जायेगी।
4. नीलामी स्वीकृत होने पर ठेकेदार को अंकन ₹100 (एक सौ रुपये) के स्टाम्प पर मय नवीतम फोटो के अनुबंध करना होगा कि वह सभी शर्तों का पालन करेगा।
5. किसी भी बोली को स्वीकार करने अथवा समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार बिना किसी कारण बताये जनपद न्यायाधीश, बदायूँ को होगा।
6. बोली स्वीकृत व अनुमोदित होने के उपरान्त भी किसी भी समय अवैधानिक शर्तों के विपरीत कार्य पाये जाने पर माननीय जनपद न्यायाधीश, बदायूँ को बिना नोटिस दिये बोली निरस्त करने का विवेकाधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. अपरिहार्य परिस्थितियों में नीलामी तिथि को स्थगित करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा।

उक्त की नीलामी के सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु सूचना के प्रकाशन के उपरान्त नीलामी दिवस से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 4:30 बजे के मध्य केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय बदायूँ में सम्पर्क करके प्राप्त किया जा सकता है।



(रमा शंकर) 29/9/2021

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्र० क्षे०), बदायूँ।

प्रतिलिपि:- संहायक नाजिर को निम्नलिखित सूचनापटों पर चर्चा करने हेतु प्रेषित:-

- २०। कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बदायूँ।
- २१। कार्यालय जिलाधिकारी, बदायूँ।
- २२। कार्यालय तहसीलदार, सदर, बदायूँ।
- २३। कार्यालय नगर पालिका परिषद, बदायूँ।
- २४। रोडवेज, बदायूँ।
- २५। रेलवे स्टेशन, बदायूँ।
- २६। जिला अस्पताल, बदायूँ।
- २७। नोडल अधिकारी(कम्प्यूटर) नेट पर अपलोड करने हेतु।
- २८। शहर अमीन को सूचनार्थ।

30/9/21


(रमा शंकर) 29/9/2021

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्र० क्षे०), बदायूँ।